

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: पं.8(विविध)एनएसएस/19/ 243

दिनांक: 09 सितम्बर, 2021


प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:—एनएसएस के प्रमाण-पत्रों के बोनस अंक प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की प्रवेश नीति 2021-22 के बिन्दु संख्या 6.7.5 के अनुसार पूर्ववर्ती दो सत्रों में 240 घण्टे का सेवा कार्य एवं एक विशेष शिविर में उपस्थिति पर ही बोनस का लाभ देय है, परन्तु कोविड-19 के कारण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष शिविर का आयोजन नहीं हो सका।

अतः विद्यार्थी हित में महाविद्यालयों के प्राचार्यों को विशेष शिविर में भाग लेने की बाध्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए 240 घण्टे का सेवा कार्य पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को बोनस अंक देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

✓ वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को अपलोड करने हेतु।


(डॉ. बनय सिंह)
राज्य समन्वयक, एनएसएस